Deed of Partition P.S Madhupur 291

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 11e7364a814110d40731
Receipt Date : 16-Oct-2022 03:46:44 pm
Receipt Amount : 50/-
Amount In Words : Fifty Rupees Only
Token Number : 20220000124307
Office Name : SRO - Madhupur
Document Type : Partition
Payee Name : RAMESH KUMAR CHOUDHARY (Vendor)
GRN Number : 2213937291

Subhash Kumar Choudhary
रमेश कुमार चौधरी
Jay Prakash Choudhary

निबंधन अधिनियम......21........ के अधीन For Office Use :-
और छोटानागपुर/संतालपरगना टेनेन्सी एक्ट की
धारा...................... की ग्राह्य है और
इण्डियन स्टाम्प एक्ट ... अनुसूचि A(1) के
खण्ड......48 D ...... स्टाम्प सहित
(या स्टाम्प शुल्क के ... शुल्क अपेक्षित नहीं)

निबंधन पदाधिकारी

Fee Details
A.G. 50 = 0
C.C. 5 = 0
P.R. 2 = 0
T.F. 2000 = 0
2057 = 0

Stamp 50 = 0

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाणहेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Please Note Your Transaction Id.

Name	RameshKumarChoudhary
Token No / Depositor ID	20220000124307
Amount	50
Transaction ID	11e7364a814110d40731
GRN	2213937291
CIN	10002162022101602926
Time	2022-10-16 15:46:44

रमेश कुमार चौधरी

Subhash Kumar Choudhary
रमेश कुमार चौधरी
Jay Prakash Choudhary

पारिवारिक व्यवस्था पत्र सह बंटवारानामा दलील (तृतीय प्रति)

प्रथम पक्ष :—श्री सुभाष कुमार चौधरी, पिता स्वर्गीय राजेश्वर चौधरी उर्फ बाबु राम प्रसाद चौधरी, धर्म हिन्दू, वर्ग सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिन कल्याणपुर, पत्रालय साप्तर, थाना मधुपुर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, जिला निबंधन कार्यालय व जिला देवघर, राज्य—झारखण्ड।
आधार न0 xxxx xxxx 9630

द्वितीय पक्ष :— श्री रमेश कुमार चौधरी, पिता स्वर्गीय श्याम बिहारी चौधरी, धर्म हिन्दू, वर्ग सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिन कल्याणपुर, पत्रालय साप्तर, थाना मधुपुर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, जिला निबंधन कार्यालय व जिला देवघर, राज्य—झारखण्ड। आधार न0 xxxx xxxx 3560

तृतीय पक्ष :— श्री जय प्रकाश चौधरी, पिता श्याम बिहारी चौधरी, धर्म हिन्दू, वर्ग सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिन कल्याणपुर, पत्रालय साप्तर, थाना मधुपुर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री मधुपुर, जिला निबंधन कार्यालय व जिला देवघर, राज्य—झारखण्ड। आधार न0 xxxx xxxx 1566

लेख्य प्रकार :—पारिवारिक व्यवस्था पत्र सह बंटवारानामा दलील।

सम्पत्ति का विवरण :—निम्न अनुसूची सम्पत्ति ''क'', ''ख'' और ''ग'' में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री देवघर, वर्तमान सबडिविजन मधुपुर, थाना मधुपुर, सामील मौजा बड़ाशेखपुरा 272 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा 12 कटठा मय मकान व बगीचा, होल्डिंग न0 176, मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 15 को प्रथम पक्ष के पिता राजेश्वर चौधरी तथा द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष के पिता श्याम बिहारी चौधरी ने दिनांक 19/02/1975 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 84, पृष्ठ संख्या 7 से 12 में निबंधित जिसकी संख्या 954 वर्ष 1975 ईस्वी के द्वारा देव नारायण कुन्डू से खरीद कर व उसपर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में अपना नाम दर्ज करवाकर सालाना खजाना आदाय करते हुए निर्विवाद रुप से भोगवान व दखलकार हुए।

A-K Chaudhary
12 10 022

Subhash Kumar Choudhary
रमेश कुमार चौधरी
Jay Prakash Choudhary

उक्त सम्पत्ति से सटे मौजा बड़ाशेखपुरा 272 के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा 1 कटठा 13 धुर मय वृक्षादि, मधुपुर नगरपालिका वार्ड न0 15 को प्रथम पक्ष के पिता राजेश्वर चौधरी तथा द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष के पिता श्याम बिहारी चौधरी ने दिनांक 18/04/1975 ईस्वी में निबंधन कार्यालय कलकत्ता से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 116, पृष्ठ संख्या 201 से 205 में निबंधित जिसकी संख्या 2195 वर्ष 1975 ईस्वी के द्वारा देव नारायण कुन्डू से खरीद कर व उसपर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय मधुपुर में अपना नाम दर्ज करवाकर सालाना खजाना आदाय करते हुए निर्विवाद रुप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त राजेश्वर चौधरी अपने पीछे एकमात्र पुत्र प्रथम पक्ष सुभाष कुमार चौधरी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये तथा श्यामबिहारी चौधरी अपने पीछे दो पुत्र कमशः द्वितीय पक्ष रमेश कुमार चौधरी व तृतीय पक्ष जय प्रकाश चौधरी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

इस तरह उपर्युक्त प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष उक्त सम्पत्ति पर आजतक इजमाल रुप में निर्विवाद रुप से भोगवान व दखलकार हैं।

उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष ने आपस के विचार विमर्श से तथा आस पास के कुछ शुभचितंकों की राय से, भविष्य के आंशकित झंझटो के निपटारा के लिये तथा पारिवारिक शांति बनाये रखने के लिये इस बंटवारा नामा दलील के द्वारा उक्त सम्पत्तियों का बमोजीव सामील शुदा नक्शा के मुताबिक निम्न अनुसार बंटवारा कर लिये कि------

1.अनुसूची सम्पत्ति "क" में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है प्रथम पक्ष सुभाष कुमार चौधरी के हिस्से में मिली।

2.अनुसूची सम्पत्ति "ख" में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में हरा रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है द्वितीय पक्ष रमेश कुमार चौधरी के हिस्से में मिली।

3.अनुसूची सम्पत्ति "ग" में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में ब्लू रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है तृतीय पक्ष जय प्रकाश चौधरी के हिस्से में मिली।

4.सभी पक्ष ने अपने अपने हिस्से को सहर्ष स्वीकार व अंगीकार किये।

5.एक पक्ष मय वारिसान, दुसरे पक्ष मय वारिसान के हिस्सें पर कभी भी किसी तरह का दावा दावी या उज्र आपत्ति नहीं कर सकेंगे, अगर करेंगे तो वह सरे अदालत नाजायज व वातिल होगा।

Subhash Kumar Choudhary
रमेश कुमार चौधरी
Jay Prakash Choudhary

6.सभी पक्ष अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति में उन्नति व विकास आदि करते हुए मय अपने उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान बिक्री मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पुर्वक भोग, दखल किया करेंगे तथा अपने अपने हिस्से को किसी भी बैंक या बित्तीय संस्थान आदि में मौरगेज आदि कर ऋण ले सकेगे।

7.सभी पक्ष अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति के बावत अंचल कार्यालय मधुपुर व नगरपालिका मधुपुर के कार्यालय में अपना अपना नाम अलग अलग रूप से दर्ज करवाकर अपने अपने नाम से सालाना खजाना व नगरपालिका कर आदाय करते हुए रसीद हासिल करेगें।

8.इस पारिवारिक व्यवस्था पत्र सह बंटवारानामा दलील की तीन प्रति बनाई गई है जिसमें प्रथम प्रति–प्रथम पक्ष के पास, द्वितीय प्रति–द्वितीय पक्ष के पास तथा तृतीय प्रति–तृतीय पक्ष के पास रहेगा।

अतएव आज तारीख उपर्युक्त हम प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष अपने अपने स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के यह पारिवारिक व्यवस्था पत्र सह बंटवारानामा दलील लिख दिये जो प्रमाण रहे, दिनांक 17.10.2022

अनुसूची सम्पत्ति "क" में वर्णित सम्पत्ति जो प्रथम पक्ष सुभाश कुमार चौधरी के हिस्से में मिली–
थाना न0 272, जिला व जिला निबंधन कार्यालय देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना मधुपुर, सामील मौजा बड़ाशेखपुरा के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन रकवा 6,548 वर्गफीट (छः हजार पॉच सौ अड़तालीस वर्गफीट), यानि 15.03 डिसमिल जमीन, अन्दर थोका न0 33 अंश, अन्दर हल्का मधपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, नयां वार्ड न0 12, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश मार्क "A" में दिखाया गया है, जिसकी चौहद्दी––––––

उत्तर–एस. सी. मुखर्जी रोड।
दक्षिण–म्युनिसिपल रोड।
पुरब–राम चरित्र साह की जमीन।
पश्चिम–द्वितीय पक्ष रमेश कुमार चौधरी के हिस्से की जमीन मार्क "बी"

अनुसूची सम्पत्ति "ख" में वर्णित सम्पत्ति जो द्वितीय पक्ष रमेश कुमार चौधरी के हिस्से में मिली–
थाना न0 272, जिला व जिला निबंधन कार्यालय देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना मधुपुर, सामील मौजा बड़ाशेखपुरा के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन रकवा 5,425 वर्गफीट (पॉच हजार चार सौ पच्चीस वर्गफीट), यानि 12.45 डिसमिल जमीन, अन्दर थोका न0 33 अंश, अन्दर हल्का मधपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, नया वार्ड न0 12, जो संलग्न नक्शा में हरा रंग से रंगा अंश मार्क "B" में दिखाया गया है, जिसकी चौहद्दी––––––

Subhash Kumar Chaudh
रमेश कुमार चौधरी
Jay Prakash Choudhary

उत्तर–एस. सी. मुखर्जी रोड।
दक्षिण–म्युनिसिपल रोड।
पुरब–प्रथम पक्ष सुभाष कुमार चौधरी के हिस्से की जमीन मार्क "ए"
पश्चिम–तृतीय पक्ष जय प्रकाश चौधरी के हिस्से की जमीन मार्क "सी"

अनुसूची सम्पत्ति "ग" में वर्णित सम्पत्ति जो तृतीय पक्ष जय प्रकाश चौधरी के हिस्से में मिली– थाना न0 272, जिला व जिला निबंधन कार्यालय देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना मधुपुर, सामील मौजा बड़ाशेखपुरा के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन रकवा 3,372 वर्गफीट (तीन हजार तीन सौ बहत्तर वर्गफीट), यानि 7.74 डिसमिल जमीन, अन्दर थोका न0 33 अंश, अन्दर हल्का मधपुर नगरपालिका वार्ड न0 15, नया वार्ड न0 12, जो संलग्न नक्शा में ब्लू रंग से रंगा अंश मार्क "C" में दिखाया गया है, जिसकी चौहद्दी––––––
उत्तर–एस. सी. मुखर्जी रोड।
दक्षिण–म्युनिसिपल रोड।
पुरब–द्वितीय पक्ष रमेश कुमार चौधरी के हिस्से की जमीन मार्क "बी"
पश्चिम–कृष्णा चौधरी की जमीन।

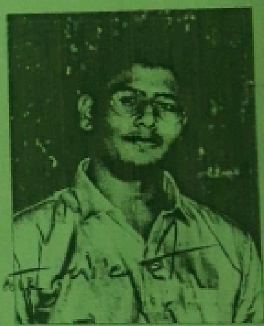

गवाहान

(1) UTPAL KUMAR CHOUDHARY
Ramesh Kr. Choudhary
Vill– Kalyanpur Po– Sapter

(2) Sunil Kumar Chowdhary
Nakul Chowdhary
Vill. Karoonitar
Dt. Deoghar.

Subhash Kumar Chaudhary
रमेश कुमार चौधरी
Jay Prakash Choudhary

छायाचित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान

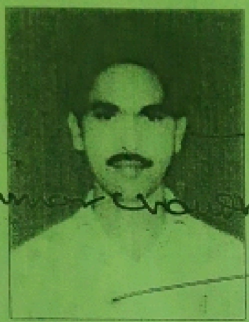

Subhash Kumar Chaudhary

Subhash Kumar Chaudhary

Sitaram Pandit

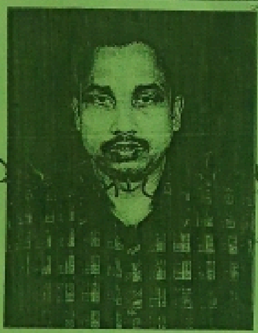

रमेश कुमार चौधरी

Sitaram Pandit

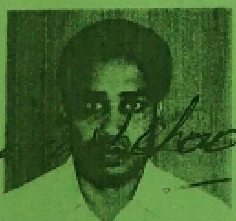

Jay Prakash Choudhary

Jay Prakash Choudhary

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया, तथा प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिया गया है,

डीड रायटर देवघर, दिनांक

सीताराम पंडित
17.10.2022
L.N. 37(5)1982